



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 04 अलग-अलग मामलों में 13 अभियुक्तों को 16000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 04 अलग-अलग मामलों में कुल 13 अभियुक्तों को कुल 16000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना विसण्डा में पंजीकृत अभियोग 10/04 धारा 147/323/149/504/506 भादवि व धारा 3(1)X एससी/एसटी एक्ट के अभियुक्तगण 1. राममिलन पुत्र जगदीश 2. सन्तोष पुत्र जगदीश 3. अवधेश पुत्र जगदीश 4. हरिओम पुत्र ओंकार निवासीगण थाना बिसण्डा जनपद बांदा को कुल 8000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 79/08 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र गणेश 2. बदलू पुत्र हरिप्रसाद 3. सुनील पुत्र सोहनलाल 4. पिंटू पुत्र सत्यनारायण निवासीगण थाना कमासिन जनपद बांदा को कुल 4000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 115/21 धारा 323 भादवि के अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र भुलुआ 2. कल्लू पुत्र राजकुमार निवासीगण थाना कमासिन जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 130/06 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. जगरूप लोहार पुत्र देवीदीन 2. रामसिंह पुत्र जगरूप 3. ललित कुमार पुत्र जगरूप निवासीगण ग्राम भदवारी थाना बबेरू जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।